ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(6): 94-97
www.allresearchjournal.com
Received: 15-04-2017
Accepted: 16-05-2017

Manoj Kumar
Department of History,
University of Rajasthan,
Jaipur, Rajasthan, India

Correspondence
Manoj Kumar
Department of History,
University of Rajasthan,
Jaipur, Rajasthan, India

स्त्री-शिक्षा: समस्याएँ एवं समाधान

Manoj Kumar

प्रस्तावना

''किसी भी मानव-समाज में स्त्रियों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है और कोई भी कौम इसे नजरन्दाज नहीं कर सकती। स्त्रियाँ राष्ट्र के विकास के लिए उतना ही महत्त्व रखती हैं जितना उस देश के खनिज पदार्थों, वहाँ की नदियों और खेती-बाड़ी का हैं। स्त्रियों की शक्ति का समुचित उपयोग करने और उनका सही नियंत्रण करने पर, लेकिन साथ ही उनके साथ आदर का बरताव करने पर, वे ऐसी महान और प्रबल शक्ति का रूप धर लेती हैं कि जिसका राष्ट्र के लाभ और उसके विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है।..... स्त्रियों पर सामाजिक प्रथाओं और परम्पराओं के प्रतिबन्ध होने के कारण उन्हें समाज की एक विकल अंग माना जा सकता है। अत: स्त्री वर्ग को सहायता पहुँचाने की ओर विरोध पर ध्यान दने की आवश्यकता है ताकि वह राष्ट्रीय जीवन में पूर्ण और समुचित भूमिका निभा सकें।''[1]

स्त्री-शिक्षा बनाम परिवार की शिक्षा:

''शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। यदि पुरूषों और स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिए सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि तब वह शिक्षा स्वयमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी।''[2] ''श्री नेहरू'' ने भी इसी तथ्य को दुहराया था कि ''लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा हैं परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है।''[3]

इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वस्तुत: घर वैसा होता है जैसा उसे ग्रहिणी बनाती है और बच्चे वैसे बनते हैं जैसा उन्हें माँ बनाती है। बालक की शिक्षा गर्भ से ही शुरू हो जाती है। माँ अपने विचारों के माध्यम से जो संस्कार बालक को प्रदान करती है बालक वैसा ही बनता है। ये संस्कार माँ के अतिरिक्त और कोई प्रदान नहीं कर सकता। जन्म के बाद के प्रारम्भिक वर्षो में बालक की हर गतिविधि पर माँ का ही नियंत्रण होता है। इसीलिए माँ को प्रथम शिक्षक कहा गया हैं। सामान्यतया हर स्त्री को यह भूमिका निभानी ही है। अत: स्त्रियों की शिक्षा महत्वपूर्ण हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि माता-पिता और आचार्य जब ये तीन उत्तम शिक्षक होते हैं सभी मनुष्य ज्ञानवान होते हैं।[4] तैत्तिरीय उपनिषद में इसीलिए कहा गया हैं कि ''माता को देवता के समान पूजनीय मानो।[5] मनुस्मृति में कहा गया हैं कि उपाध्याय (उपनयन संस्कार के समय गायत्री मंत्र देने वाले) से दस गुनी अधिक महत्ता आचार्य की हैं (क्योंकि वह विद्या देता हैं) सौ आचार्यों के समान महत्ता पिता की हैं और हजार पिताओं से बढ़कर महत्ता माँ की है।[6]

गृहिणी के रूप में नारी:

इस रूप में नारी के उत्तरदायित्व महान हैं। उसे अपने विशेष प्रयास से ऐसे मधुर पारिवारिक सम्बन्धों का निर्माण करना हैं जो ईंट-पत्थर के घर को प्रेम और आदर का अक्षय भण्डार बना देते हैं। श्री सैयदेन के ये शब्द मुझे सुभाषित जैसे लगते हैं कि, ''ज्ञान अच्छा हैं, बौद्धिक सम्पन्नता भी अच्छी है और विवेक

और भी अधिक मूल्यवान गुण हैं, पर यदि वे जीवन की रचना को पूर्ण नहीं बनाते, उसमें संघठित नहीं हो जाते और किसी स्त्री को इस योग्य नहीं बनाते कि उसका जीवन कलाकृति बन जाए तो उनका कोई महत्त्व नहीं''[7] स्त्री की यह नियति है, या चाहे तो यों कहिए कि उसे यह सुविधा प्राप्त हैं कि वह जीवन के उदात्त गुणों की सम्पोषिका है, आत्मा के समस्त गुण उसी से जीवन पाते हैं।[8]

जीवन का लक्ष्य और नारी:

नि:संदेह नारी की ये महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं, पर क्या केवल ये ही भूमिकाएँ हैं? जिस प्रकार अनेक महापुरुषों ने मानव-कल्याण के लिए अपना घर और परिवार छोड़कर अपना जीवन किसी महान साधना को समर्पित कर दिया, वैसा अवसर स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। पत्नी और माँ के रूप में नारी को उच्चकोटि के गुणों और कुशलताओं का प्रयोग करने का अवसर मिलता हैं, पर यदि कोई स्त्री सोचती है कि वह एकाकी रहकर अपने जीवन के उद्देश्य अधिक अच्छी तरह पूरे कर सकती है, अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकती है तो उसे इसके लिए पूरा अवसर मिलना चाहिए, पर उसके लिये शिक्षा तब और भी महत्त्वपूर्ण हो जाएगी।[9]

परिवार को आर्थिक सहयोग:

मध्यवर्गीय परिवारों में ऐसे अवसर प्राय: आते हैं जब परिवार को आर्थिक सहयोग देना आवश्यक होता है और स्त्रियों को कोई व्यवसाय अपनाना पड़ता है। कभी परिवार के मुख्य सदस्य को न रहने पर स्वयं के भरण-पोषण की चिन्ता करनी पड़ती है। अपने आश्रितों की भी चिन्ता करनी पड़ती है। आजकल की सामाजिक व्यवस्था में, वर्तमान महँगाई के इस युग में और व्यस्तता के इस युग में स्त्री-शिक्षा का महत्त्व इस दृष्टि से और भी बढ़ गया है।[10]

नये समाज में नारी:

प्राचीन समाज में स्त्री का सारा चौका-चूल्हा सम्भालने में और सारा जीवन सन्तान के लालन-पालन में ही लग जाता था। आधुनिक युग में एक तो रसोई घर में काम आने वाले ऐसे उपकरणों का आविष्कार हुआ है, और उनका प्रयोग बढ़ रहा है, जो समय बचाते हैं। यदि उन्हें उपयोगी कामों के लिए तैयार नहीं करेंगे तो वे ''किटी पार्टियों'', ''क्लबों'' में अपनी शक्ति का अपव्यय करेंगी।[11]

समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊँच-नीच के भेद, धनी-निर्धन के भेद, धार्मिक भेदभाव, जातिगत (या वर्गगत) संकीर्णताओं आदि को मिटाना चाहते हैं। स्वाधीनता-संग्राम में स्त्रियों ने पुरुषों के समान ही भाग लिया। अब भूख, अशिक्षा, अज्ञान, निर्धनता के हमारे संघर्ष में वे सहयोग करेंगी और यह सब सभी सम्भव होगा जब स्त्रियाँ शिक्षित होंगी, ज्ञानवान होंगी, विवेकी होंगी, तभी तो 'महर्षि कर्वे' ने कहा है- ''राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए तमाम नारियाँ शिक्षित होनी चाहिए।''[12]

जनतंत्र में नारी:

सफल जनतंत्र की स्थापना के लिये भी स्त्रियों का शिक्षित होना आवश्यक हैं। वे मताधिकार का स्वतन्त्रतापूर्ण और स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकें। यह उनकी शिक्षा पर ही निर्भर करता है। वे समाज और देश के प्रति अपने कर्त्तव्य को समझ सके, इसके लिए उनका शिक्षित होना और भी आवश्यक है, अपरिहार्य है।[13] आप किसी भी दृष्टि से विचार करें स्त्री का महत्त्व उजागर ही होगा, और जितना अधिक विचार करेंगे, स्त्री-शिक्षा का महत्त्व उतना ही गम्भीर होता जाएगा। यह ठीक है कि आज के युग में स्त्री-शिक्षा का महत्त्व और बढ़ गया है, पर यह वस्तुत: शाश्वत महत्त्व का विषय हैं। इतिहास साक्षी है कि जब-जब हमने इस महत्त्वपूर्ण विषय की अपेक्षा की है, देश का पतन हुआ है, जब-जब इस पर ध्यान दिया है देश उन्नति के शिखर पर पहुँच गया है।[14]

स्त्री-शिक्षा की कतिपय समस्याएँ एवं समाधान

- कुरीतियों में जकड़ा भारतीय समाज
- अशिक्षित जनता
- निर्धनता
- दुर्गम इलाकों में शिक्षा
- सहशिक्षा बनाम पृथक विद्यालय
- अध्यापिकाओं का अभाव
- दूषित पाठ्यक्रम
- दोषपूर्ण प्रशासन
- शिक्षा और नौकरी
- पुरुषों का दृष्टिकोण
- व्यवसाय और महिलाएँ
- स्त्रियों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण
- स्त्री-शिक्षा और आधुनिक विश्व

पश्चिमी देशों में साठ के दशक में इस ओर विशेष ध्यान दिया गया और विश्वव्यापी चेतना विकसित करने के लिए यह निश्चय किया कि वर्ष 1975 को ''अन्तर-राष्ट्रीय महिला वर्ष'' के रूप में मनाया जाए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की ओर से 1990 में ''सार्क बालिका वर्ष'' मनाया गया और बाद में नवम्बर, 1991 के बाद यह पूरा दशक अर्थात 1991 से 2000 तक ''सार्क बालिका दशक'' के रूप में मनाया जा रहा है। विश्व के 150 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों का जो सम्मेलन सितम्बर, 1990 में हुआ था, उसमें सन् 2000 तक के लिए 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिनमें बाल मौतों को कम करना, बाल कुपोषण को कम करना, गर्भावस्था के दौरान होने वाली महिलाओं की मृत्यु में कम से कम पचास प्रतिशत कमी लाना, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना आदि शामिल है। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया गया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि वर्तमान दशक में प्रतिवर्ष बीस अरब डालर खर्च किया जाए तो ये उद्देश्य पूरे किए जा सकते है। यूनिसेफ का कहना है कि इसकी एक-तिहाई राशि अन्तर-राष्ट्रीय सहायता के रूप में दी जानी चाहिए जो विश्व के वर्तमान सैनिक व्यय के प्रतिशत से भी कम है।

महिलाओं की स्थिति में शिक्षा का बहुत महत्त्व है लेकिन शिक्षा के लाभों पर अब तक पर्याप्त बल नहीं दिया जा सका है। सभी बच्चों

को मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल 2010 में ''शिक्षा का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2009'' लागू किया हैं। और इसके तहत एक प्रमुख कार्यक्रम ''सर्व शिक्षा अभियान'' (एसएसए) चलाया गया ताकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने का काम शुरू किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में लड़कियों के दाखिलों में वृद्धि हुई और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई। वही उत्तम शिक्षा प्रदान करने की दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक राष्ट्रव्यापी उपकार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका नाम है ''पढ़े भारत, बढ़े भारत''। यह अभियान सुनिश्चित करता है कि हर स्कूल में 800 शिक्षण घंटों के साथ 200 स्कूली दिवस अवश्य हों।

सीबीएसई ने भी लड़कियों की शिक्षा के लिए ''उड़ान'' जैसे कार्यक्रम शुरू किया है। यह एक मेंटरिंग और स्कॉलरशिप योजना है जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं को दाखिलों को बढ़ाना और सभी को युक्त ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराने के माध्यम से उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में गणित और विज्ञान के शिक्षण को बढ़ावा देना है। एक ओर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को उच्च शिक्षा के समग्र विकास के लिए लागू किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने उच्च शिक्षा पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए ''प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी'' कार्यक्रम के तहत एक नया वेब आधारित पोर्टल, विद्या लक्ष्मी (www.vidyalakshmi.co.in) शुरू किया है।

इसी प्रकार ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना'' जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। सौ करोड़ रुपये के शुरूआती कोष के साथ यह योजना शुरू में देशभर के सौ जिलों में शुरू की गई। खासकर उन जिलों में जहाँ लिंगानुपात बेहद कम था। इससे चयनित जिलों में से कई जिलों में उम्मीद के मुताबिक सुधार देखने को मिल रहा है। ''सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना'' से हर लड़की के लिए पैसे बचाने की लघु बचत योजना शुरू की गई, बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यकता होने पर धन की उपलब्धता जैसे छोटे लेकिन महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ ही घरेलू बचत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह पहल की गई। भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए ''कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना'' का शुभारंभ किया गया था।

महिला समाख्या कार्यक्रम मुख्यत: महिलाओं के आत्म-विश्वास व आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना का प्रयास है। समाज राजनीति व अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को रेखांकित कर इनके जरिए महिला जगत की सकारात्मक छवि स्थापित करना इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पूरे विश्व के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किये तब उसमें समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्त्व दिया। शिक्षा से वंचित वर्गो में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। पूरे विश्व में ही पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का स्तर आधे से भी कम है।

महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा वास्तव में सबसे महत्त्वपूर्ण संघटक और हस्तक्षेप हैं, बशर्ते इस शिक्षा की विषय-वस्तु और कार्य पद्धति दोनों ही महिलाओं के पक्ष में हो। हमें उन प्रयासों को मजबूती प्रदान करने और बढ़ाने की आवश्यकता है, जो महिलाओं को शिक्षित बनाने, जानकारी और ज्ञान देने के लिए किए जा रहे हैं, जो उन्हें पितृसत्तात्मक ज्ञान, नियमों, मूल्यों व्यवहार पद्धतियों को चुनौती देने में मदद करेंगे। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो केवल शब्द पढ़ने और समझने में ही महिलाओं की मदद न करे, बल्कि हमारी दुनिया को पढ़ने, समझने और नियंत्रित करने में उनकी सहायता करें।

महिलाओं को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो न केवल नए कौशलों और ज्ञान को तलाशने और प्राप्त करने में सहायता करे, बल्कि प्रतिभागियों को न्याय, समानता, ईमानदारी, सच्चाई और शोषित वर्गों के बीच एकजुटता जैसे सशक्त बनाने वाले मूल्यों को प्राप्त करने में भी मदद करे। एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के विकास के साथ मानवीय मूल्यों को भी सशक्त होना चाहिए। केवल तभी हमारे चारों ओर समानता, न्याय और शांति होगी। महिला शिक्षा का विकास केवल तभी त्वरित गति से संभव हो सकेगा, जब पुरुष इस बात को समझेंगे कि यह उनके लिए भी अच्छा होगा और यह परिवारों और राष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा। याद रहे कि उत्तम पुरुष समानता से भयभीत नहीं होते।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. ''भारतीय समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति'' 1 राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट का सार संक्षेप, में 1971-74 ।
2. आर.एल.शुक्ल ''आधुनिक भारत का इतिहास''- ''भारत में पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास और उसका प्रभाव'' - ''विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948'', प. 331 ।
3. वही पृ. 331 ।
4. ''मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरूषो वेद। शपथ ब्राह्मण: ''मातृमान'' अर्थात् प्रशास्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य मातृमान'' महर्षि दयानन्द सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, अजमेर वैदिक पुस्तकाल्य, 1971, पृ. 28 ।
5. मातृ देवो भव। तेत्तिरीय उपनिषद, 1/11 ।
6. उपाध्यायान दशाचार्या: आचार्यणाम शतम पिता। सहश्र तु पितृन माता गौरवेणातिरिच्यते-मनुस्मृति।
7. के.जी. सैयदेन: दा फैथ ऑफ एन एजूकेशनिस्ट, बॉम्बे: एशिया पब्लिकेशन हाउस: 1965 - पृ. 188 ।
8. वही पृ. 188 ।
9. सर रिचर्ड टेंपुल, मेन ऐंड इवेंटस ऑफ माई टाइम्स इन इंडिया, लंदन, 1882, पृष्ट - 432-33 ।
10. के.जी. सैयदेन: दा फैथ ऑफ इन एजूकेशनिष्ट, पृष्ठ - 189 ।
11. भंवरलाल सिंघी, पदमभूषण श्री सीताराम सेकसरिया अभिनन्दन ग्रन्थ कलकत्ता श्री सीताराम सेकसरिया अभिनन्दन समिति 1974 पृ. 50।
12. वही, पृ. 50।

13. एरिक एश्वी, यूनिवर्सिटीज़: ब्रिटिश इंडियन अफ्रीकन: ए स्टडी इन दि इकोलॉजी ऑफ हायर एजुकेशन, वेडेन फील्ड ऐंड निकोल्सन, 1966, पृ. 64।
14. वही, पृ. 64।